

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/दन्त तकनी0/ (एफ-1447)/2018/

दिनांक :

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-33/दन्त तकनीशियन/सीधी भर्ती/2015/756 दिनांक 06.11.15 के द्वारा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के अंतर्गत दन्त तकनीशियन के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। निम्नलिखित कार्मिकों जिन्होंने दो वर्ष की परीक्षा अवधि (Probation Period) संतोषजनक रूप से पूर्ण कर ली है इनका कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद पाये जाने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के तहत एतद् द्वारा स्थाई किया जाता है। इन्हे परीक्षा अवधि पूर्ण करने की तिथि से वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी. (रूल्स)/ 2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में पद की पै मैट्रिक्स एल 5 में न्यूनतम वेतन रूपये 20800 एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे :-

क. स.	पदस्थापन सूची क्रमांक 756 दिनांक 06.11.15 के क्र.स	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन जिला	जन्म तिथि	कार्य ग्रहण तिथि	परीक्षा पूर्ण करने की तिथि	2 वर्ष पश्चात परीक्षा पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1.	8	श्री सुरेश जायसवाल	अधीक्षक, झालावाड हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी, झालावाड	04.11.1989	21.12.2015	20.12.2017	21.12.2017
2.	5	श्रीमती श्वेता	अधीक्षक, हरिबक्श कांठिया चिकित्सालय शास्त्री नगर, जयपुर	09.04.1982	09.11.2015	22.11.2017	23.11.2017

नोट:- क्रम संख्या 2 पर अंकित श्रीमती श्वेता दन्त तकनीशियन द्वारा लिये गये 45 दिवस का असाधारण अवकाश निदेशालय के आदेश क्रमांक 197 दिनांक 27.03.2018 के द्वारा स्वीकृत करने के फलस्वरूप परीक्षाकाल में 15 दिवस की अभिवृद्धि हुई।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/दन्त तकनी0/ (एफ-1447)/2018/ 359

दिनांक : 07/06/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अधीक्षक, झालावाड हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी झालावाड।
2. अधीक्षक, हरिबक्श कांठिया चिकित्सालय शास्त्री नगर, जयपुर
3. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
4. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर